

राजस्थान प्रतिकरत्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

बजट आवंटन आदेश- 51

दिनांक : 31/8/2022

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद्द संख्या-A.P.O. Item No. 7 : Pending Liability of the year 2021-22 (NFL/DFL/ACA/PCA/Medicinal plants/100 plants and A.P.O. Item No. 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV) में सूची अनुसार वर्ष 2021-2022 के बकाया दायित्वों को पूर्ण कराने हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद्द में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 2406-04-103-01-01-12
2406- Forest & wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(01)- Compensatory Afforestation
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.O. Item No. 7 : Pending Liability of the year 2021-22 (NFL/DFL/ACA/PCA/Medicinal plants/100 plants

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	APO Item	Activity	Budget Allotment		Details	
				Phy. Target (in Ha.)	Total Amount		
1	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	2- b) CA on Allotted Degraded forest land compensatory afforestation	ii) committed (1st year)	40.000	0.41724	16.68960	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्रांक 4254 दिनांक 21.06.2022 के क्रम में 40 है० जी.एफ.एल. मलारिया साईट हेतु

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण/बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	1- CA on allotted Non-Forest Land for Compensatory Afforestation (CA NFL) : (iii) Committed (2nd year)	12	59.1140	10.85510	0.0000	-8.88145	59.1140	1.97365	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्रांक 4254 दिनांक 21.06.2022 के क्रम में 200 पौधों प्रति हैक्टर के हिसाब से

नोट :- लेखा शाखा एवं सांख्यिकी शाखा यह सुनिश्चित करेगी की उ.व.सं.उदयपुर उत्तर को एन.एफ.एल. (59.1140) हैक्टर क्षेत्र हेतु आगामी वर्षों में 200 पौधों प्रति हैक्टर के हिसाब से ही पौधे संधारण का बजट आवंटित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

- 2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04- Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present Value of Forest Land
(01)- Compensatory Afforestation
12- Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.O. Item No. 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण / बजट आवंटन	वित्तीय	कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय	
1	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	33- Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment	38	0.0000	0.14420	0.0000	-0.14420	0.0000	0.00000	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्रांक 5127 दिनांक 28.07.2022 के क्रम में

S.N 0.	Name of division	APO Item name of year 2021-22	Target		Achievement		Pending Liability				Remarks	
			Physical	Financial	Physical	Financial	Bills sent to Treasury but remain unpaid	Bills Prepared but not sent treasury	Bills not Prepared	Total (8+9+10)		
1	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	36- Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and management : b) Hiring Vehicles for protection and rescue of wildlife for 53 division. (if required)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्रांक 5127 दिनांक 28.07.2022 के क्रम में
2	उ.व.सं. करौली	25 : Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) : ii) committed (1st year)	400	40.93200	400	39.22237	0.13959	0.00000	0.00000	0.13959	उ.व.सं. करौली के पत्रांक 5283 दिनांक 17.08.2022	
3	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर	25-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) i) new advance action	300	131.6730	300	123.71600	0.00000	0.00000	2.03982	2.03982	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर के पत्रांक 6004 दिनांक 01.07.22	

- 2406-04-796-04-01-12
2406- Forest & Wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
796-Janjati Kshetra Upyojna
(04)-Net Present Value of Forest Land
(01)- Compensatory Afforestation
12- Grant in Aid (Other than Salary)
A.P.O. Item No. 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण / बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	27 : 1.Cultural operation of Bamboo : i) Advance Action 27: Productivity Enhancement Operation 2. Cultural operation of Tendu : Advance Action	38	0.0000	0.39535	0.0000	0.06190	0.0000	0.45725	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्रांक 5127 दिनांक 26.07.2022 के क्रम में
				0.0000	0.35020	0.0000	-0.06190	0.0000	0.28830	

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 उप वन संरक्षण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित वजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 3 आवंटित वजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 4 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य करया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित वजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी शर्ति का उपयोग संभव नहीं हो तो शर्ति इस कार्यालय को मय ऑफिशियल समर्पित कर दी जावे।
- 6 आवंटित वजट की शर्ति का आहरण केवल तभी किया जावे जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 7 आवंटित शर्ति जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए निमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 8 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति निमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कैम्पा का लेखा कोर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संशोधित करें। लेखा की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जायेगी।
- 9 उप वन संरक्षण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपनै नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 10 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर शीतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अद्योक्तारकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संचारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी करया जावे।
- 11 वजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 12 कैम्पा से आवंटित वजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 13 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही वाज. लोक उपपत्र में परदर्शित अभिलिखित, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जायेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्वॉयस विभागीय स्तर पर भिजका में किया जावे एवं विभाग की प्रकृतित प्रकृति अनुसार लेखा-जोखा रखा जायेगा।
- 14 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यखलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-मीनवांच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमवसं/लेखा/व.दाशिव/2022-23/

6542-6553

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक-भरतपुर/उदयपुर/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं शर्ति जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकॉर्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवावे।
- 3 उप वन संरक्षक-करोली/उदयपुर उत्तर/वन्य जीव उदयपुर।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं शीतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक :

31/8/2022

(शिल्पा मेहरा)

अधिकारी शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।